भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3389

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक की मांग और आपूर्ति

3389. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री के.गोपीनाथ:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में यूरिया और डीएपी उर्वरकों की उपलब्धता, मांग, वास्तविक खपत और आपूर्ति के अंतर के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो उत्पादन और आयात का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या किसानों को बुआई के उच्च मौसम के दौरान उर्वरकों की कमी, विलंबित आपूर्ति और कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार को उक्त उर्वरकों की अनुपलब्धता, कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बिक्री के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है और बनाए गए वितरण तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने देश में उर्वरक की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और डीएपी की उपलब्धता और लागत पर आयात निर्भरता के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों, राजसहायता के साथ-साथ किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्रत्येक फसल मौसम के दौरान किसी भी कमी को दूर करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, पिछले तीन वर्षों और चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान यूरिया और डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त रही है। पिछले तीन वर्षों और चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान उक्त उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत, यूरिया की आपूर्ति सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर की जाती है। यूरिया की 45 किग्रा. बोरी का एमआरपी 242 रुपए (नीम लेपन प्रभारों और यथालागू करों को छोडकर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति सब्सिडी प्राप्त दरों पर की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी के नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादक/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव पर विचार किया जाता है ताकि किसानों के लिए उर्वरक वहनीय बने रहें।

तथापि, खरीफ 2026 मौसम के लिए डीएपी, जो एक प्रमुख उर्वरक है, को 1350 रूपए प्रति 50 किलो बोरी की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान जैसे 'अन्य लागतों' को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष

प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित टीएसपी के लिए किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

इसके अलावा, एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों/कच्चे माल का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तथापि, आयातित फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमआरपी की तर्कसंगतता पर दिनांक 18.01.2024 को जारी दिशानिर्देश के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए गए हैं, जिसमें आयातकों/उत्पादकों और एकीकृत उत्पादकों को क्रमशः 8%, 10% और 12% का उचित लाभ दिया जाता है। अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है। एनबीएस स्कीम के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है। मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू की गई है। इसके अलावा, एनबीएस स्कीम के तहत उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पोषक तत्वों की दरें अर्द्ध-वार्षिक आधार पर तय की जाती हैं।

देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- नैनो यूरिया के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

- नैनो उर्वरक जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

- पर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों के सहज अनुप्रयोग और उपयोग के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्प और खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बैटरी संचालित स्प्रेयर के वितरण जैसी पहल की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

तथापि, नैनो उर्वरकों के लिए भारत सरकार द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

इसके अलावा, उर्वरक कंपनियों द्वारा किसानों, स्थानीय किसान सहकारी समितियों, पंचायतों आदि के साथ व्यापक क्षेत्र बातचीत के लिए किसान संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। 24 उर्वरक विपणन कंपनियों (एफएमसी) ने फरवरी 2025 से जून 2026 के दौरान देश भर में 23,389 शिविरों/किसान संगोष्ठियों का आयोजन किया। उर्वरक कंपनियों द्वारा पीएम-प्रणाम के तहत

एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम के प्रचार के लिए शिविर/किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल उर्वरकों के संतुलित उपयोग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। किसानों के लिए जागरूकता गतिविधियों में एफओएम, एलएफओएम, पीआरओएम, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) के उपयोग पर प्रदर्शन शामिल हैं। इन शिविरों में उचित उर्वरक खुराक, फसल-विशिष्ट अनुप्रयोग तकनीकों और जैविक आदानों के लाभों पर तकनीकी सत्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य आईएनएम के बारे में किसानों की समझ को बढ़ाना, संतुलित पोषक तत्वों की प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रदर्शन नाटकों और संवादात्मक किसान सम्मेलन के माध्यम से पहुंच और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। सरकार इस स्कीम के तहत उनके प्रयासों का समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रही है।

उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उर्वरकों की अधिक कीमत, कालाबाजारी और जमाखोरी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। उर्वरकों में इस तरह की अनियमितताओं के संबंध में उर्वरक विभाग के स्तर पर प्राप्त कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) राज्य सरकारों से परामर्श करके राज्य सरकारों द्वारा अधिक मूल्य निर्धारण/कालाबाजारी और अन्य कदाचार के मामलों के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 (31.07.2026 तक) की अवधि के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिक मूल्य निर्धारण/कालाबाजारी और अन्य कदाचारों की जांच के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में डीएएंडएफडब्ल्यू से प्राप्त जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3389 के उत्तर के भाग (क) से (घ) तक से संबंधित है।

चल रहे खरीफ़ 2026 (03.08.26 तक) के दौरान यूरिया और डीएपी की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	खरीफ 2026 (01.04.26 से 03.08.26 तक)							
		यूरिया				डीएपी			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	03.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	03.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4.07	6.92	3.18	3.75	0.93	1.91	1.00	0.91
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.39	2.22	1.85	0.37	0.23	0.42	0.30	0.12
5	बिहार	5.33	8.89	4.46	4.42	1.72	2.46	1.09	1.37
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	6.15	7.71	5.58	2.13	2.60	2.13	1.59	0.54
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.10	0.09	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	गुजरात	6.84	9.20	6.78	2.41	2.63	2.35	1.75	0.60
13	हरियाणा	6.87	10.41	8.44	1.97	1.37	1.76	1.28	0.48
14	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.45	0.31	0.14	0.01	0.03	0.01	0.02
15	जम्मू और कश्मीर	0.63	1.15	0.82	0.34	0.18	0.29	0.20	0.09
16	झारखंड	1.53	2.25	1.28	0.97	0.45	0.43	0.29	0.15
17	कर्नाटक	7.16	9.54	5.31	4.23	2.91	3.46	2.54	0.93
18	केरल	0.34	0.73	0.44	0.29	0.07	0.18	0.10	0.07
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	11.39	15.81	10.89	4.92	3.89	3.57	2.59	0.98
21	महाराष्ट्र	11.18	15.44	10.40	5.04	3.72	4.00	2.93	1.07
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.13	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	3.33	4.62	2.38	2.24	1.47	1.69	1.07	0.62
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
28	पंजाब	12.60	16.28	13.18	3.10	1.66	2.61	1.49	1.12
29	राजस्थान	7.10	11.89	8.61	3.28	3.35	2.75	2.17	0.58
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.96	4.93	3.19	1.74	0.86	1.17	0.64	0.53
32	तेलंगाना	7.65	8.43	4.83	3.60	2.12	2.25	1.89	0.36
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01
34	उत्तराखंड	0.75	0.98	0.80	0.18	0.15	0.30	0.15	0.14
35	उत्तर प्रदेश	27.70	37.60	23.73	13.87	5.83	9.25	4.44	4.80
36	पश्चिम बंगाल	3.76	7.84	3.89	3.95	0.92	1.50	0.70	0.80
	अखिल भारत	**129.21**	**183.84**	**120.73**	**63.12**	**37.17**	**44.60**	**28.28**	**16.33**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > डीबीटी बिक्री

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3389 के (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित है।

2023-24 से 2025-26 तक यूरिया और डीएपी की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	2023-24						2024-25						2025-26					
		यूरिया			डीएपी			यूरिया			डीएपी			यूरिया			डीएपी		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > डीबीटी बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3389 के (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित है।

अप्रैल 26 से जुलाई 26 (31.07.2026 के अनुसार) तक का कुल विवरण

खरीफ मौसम अप्रैल 26 से जुलाई 26 (31.07.2026 के अनुसार) तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन						कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	विवरण के साथ दोषसिद्ध*	गिरफ्तारियों की संख्या	ज़ब्त किए गए सामान की मात्रा (बोरियों के रूप में)	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5460	7	13	0	95	73	4	45	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	147	86	4
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
असम	3327	7	0	0	6	0	0	1	0	0	4	4	0	शून्य	0	0	18	4	0
बिहार	18022	718	686	63	1	149	15	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	719	835	78
छतीसगढ	5486	209	48	6	37	10	2	76	0	1	0	0	1	शून्य	0	30029	322	58	10
दादर एवं नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
दिल्ली	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
गोवा	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
गुजरात	7822	39	0	2	4	5	0	17	0	8	2	0	7	शून्य	0	0	62	5	17
हरियाणा	494	8	7	0	22	31	6	9	6	0	3	6	2	शून्य	0	0	42	50	8
हिमाचल प्रदेश	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	9226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	शून्य	0	1562	0	0	1
झारखंड	727	14	0	0	31	2	0	0	1	0	0	0	1	शून्य	0	0	45	3	1
कर्नाटक	17137	2132	2	0	0	0	0	78	0	0	5	0	7	शून्य	0	4424	2215	2	7
केरल	651	0	0	0	0	0	0	15	0	0	4	0	2	शून्य	0	2272	19	0	2
मध्य प्रदेश	1021	0	0	4	0	0	0	0	0	9	23	22	0	शून्य	0	0	23	22	13
महाराष्ट्र	42353	850	575	19	728	222	1	563	426	40	16	20	7	शून्य	0	0	2157	1243	67
मणिपुर	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
मेघालय	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
मिजोरम	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
नागालैंड	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
ओडिशा	10318	0	2	0	0	0	1	5	2	1	0	0	0	शून्य	0	246	5	4	2
पुदुचेरी	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0	0
पंजाब	1912	10	0	0	0	0	0	57	8	4	49	0	8	शून्य	0	0	116	8	12
राजस्थान	8450	712	22	2	139	28	6	126	0	1	167	1	6	शून्य	2	5058	1144	51	15
तमिलनाडु	5868	8	0	0	139	0	6	221	0	0	118	0	2	शून्य	0	290	486	0	8
तेलंगाना	11658	28	9	6	0	0	0	0	2	0	3	2	1	शून्य	0	0	31	13	7
त्रिपुरा	1050	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	184	0	0
उत्तर प्रदेश	11181	1092	363	26	47	58	2	87	69	5	23	58	8	शून्य	0	3826	1249	548	41
उत्तराखंड	376	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	शून्य	0	0	2	1	1
पश्चिम बंगाल	16661	5	2	0	276	16	0	42	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	323	18	0
कुल	**180091**	**5840**	**1729**	**129**	**1709**	**594**	**43**	**1343**	**515**	**69**	**417**	**113**	**53**	**0**	**2**	**47707**	**9309**	**2951**	**294**

• - विवरण दिया जाना है - वाद संख्या, एफआईआर का वर्ष और वाद दर्ज करने का वर्ष तथा आदेश की तारीख

उपर्युक्त डाटा राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संकलित किया गया है